**सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़**

**पत्र सं0- 186/2021 दिनांक- 1 2 अप्रैल 2021**

**प्रेस-विज्ञप्ति**

**थाना मुबारकपुर**

**छेड़खानी का वॉछित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनाक – 17.03.2021 को आवेदिका थाना मुबारकपुर आजमगढ़ द्वारा तहरीर दिया गया कि गाँव के मानसिंह यादव पुत्र अज्ञात, व अंदीप पुत्र दशरथ व विरेन्द्र पुत्र रामधारी यादव ने मेरे घर पर आये और मेरी लडकी के साथ छेडखानी करने व कपडे फाड दिए विरोध करने पर मुझे मेरी लडकी को गाली गलौज देते हुए मारने पिटने लगे। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही सम्पादित हो रही थी जिसके क्रम में

आज दिनांक 12.04.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र नेतृत्व में मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त मानसिंह यादव पुत्र स्व0 कान्ता यादव निवासी गोछा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के घर पर पुलिस टीम द्वारा दविश दी गयी तो अपने घऱ पर मिला , जिसको मुकदमा उपरोक्त से अवगत कराते हुए समय 08.40 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया कि बाद गिरफ्तारी अभियुक्त मानसिंह यादव पुत्र स्व0 कान्ता यादव को चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**पंजीकृत अभियोग –**

**मु0अ0सं0 53/2021 धारा 354(ख),323 ,504, 506 भा0द0वी0 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़**

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त**

मानसिंह यादव पुत्र स्व0 कान्ता यादव निवासी गोछा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तारी करने वाली टीम –**

1. उ0नि0 अश्वनी कुमार मिश्रा, थाना मुबरकपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 सन्तोष यादव, थाना मुबरकपुर जनपद आजमगढ़

**थाना-मुबारकपुर**

**दहेज हत्या का वॉछित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनाक को श्रीमती पीयरिया देवी पत्नी सीजोर ग्राम सिकठिया थाना मुहम्मदाबाद 18.03.2021 जनपद मऊने थाना मुबारकपुर पर शिकायत दर्ज करायी कि ग्राम फिरोजाबाद मफिया थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ में मेरी लड़की की शादी हुई थी जिस की हत्या ससुरालीजनो द्वारा मिलकर की गयी है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु ए498 धारा 21/54 0सं0अ0,बी304, व 0वि0द0भा 506¾ डी एक्ट 0पी0पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

आज दिनांक को पुलिस अधीक्षक 12.04.2021 जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्त,ारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक को 12.04.2021 प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर अखिलेश कुमार मिश्र को सूचना प्राप्त हुआ कि फिरोजाबाद का जो दहेज हत्या का मुकदमा

पंजीकृत हुआ था उसका एक नामजद अभियुक्त जो कही भागने के फिराक में अमिलो बाजार चौराहे पर खड़ा है । इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मय हमराहियान के अमिलो बाजार चौराहे पर पहुचकर मुके वांछि 2021/54 -0सं0अ0त अभियुक्त टिम्मल यादव पुत्र घुरहू यादव निवासी फिरोजाबाद मफिया थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को समय 10.10 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**<u>पंजीकृत अभियोग</u>** –

मुए498 धारा 21/54 0सं0अ0,बी304, व 0वि0द0भा 506¾ डी एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद 0पी0 आजमगढ़

**<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

टिम्मल यादव पुत्र घुरहू यादव निवासी फिरोजाबाद मफिया थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

**<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u>**

.1SHO अखिलेश कुमार मिश्रा, थाना मुबरकपुर जनपद आजमगढ़

.2हे ,संतोष कुमार 0का0थाना मुबरकपुर जनपद आजमगढ़

.3का ,जगभान पाल 0थाना मुबरकपुर जनपद आजमगढ़

.4का,प्रमोद यादव 0 थाना मुबरकपुर जनपद आजमगढ़

.5म,काजल सिंह 0का0 थाना मुबरकपुर जनपद आजमगढ़

**<u>थानादेवगाँव-</u>**

## <u>अवैध असलहा व कारतूस के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार</u>

**आगामी त्रिस्तरिय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रँण एव वांछित अवैध मादक/ ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी एवं अवैध असलहा, पदार्थो की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु**अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालंगज के कुशल निर्देशन में दिनांक 11.04.2021 को नि राकेश कुमार सिंह मय हमराह के साथ 0अ0 अपराध एव अपराधियो के वारे मे बातचीत कर रहे थे कि जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति अवैध असलहा के साथ बुढ़ऊ बाबा मन्दिर के पास खडे है। मुखबीर की सूचन ा पर नि राकेश 0अ0 कुमार सिंह मय हमराह के साथ बुढउबाबा मन्दिर पहुचकर उक्त दोनो व्यक्तियो को समय करीब 21.10 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार व्यक्तियो का नाम पता पूछा ने पर एक ने अपना नाम अजय कुमार उर्फ रामसमुझ पुत्र रामरुप उर्फ मोछू निवासी उसरौली थाना देवगाँव आजमगढ़ बताया जिसकी जामा तलाशी से एक अदद तंमचा देशी बोर बरामद हुआ तथा दुसरे ने 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 अपना नाम उमेश चौहान पुत्र सूर्यवली निवासी बनारपुर थाना देवगाँव आजमगढ़ बताया जिसक ी तलाशी से उसके पास से एक अदद देशी तमंचा बोर व एक अदद जिन 315 ्दा कारतूस बोर बरामद हुआ। 315 गिरफ्तारी व बरामदगी केआधार पर थाना स्थानीय पर मु आर्म्स एक्ट व 25/3 धारा 2021/64 0स0अ0 आर्म्स एक्ट 25/3 धारा 2021/65 0स0अ0मुपंजीकृत कर अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण</u>**

.1अजय कुमार उर्फ रामसमुझ पुत्र रामरुप उर्फ मोछू निउसरौली थाना देवगाँव आजमगढ़ 0।

.2उमेश चौहान पुत्र सूर्यवली नि बनारपुर थाना देवगाँव 0जनपद आजमगढ़।

## अभियोग पंजीकृत

.1 मु आर्म्स एक्ट  थाना देवगाँव आजमगढ़ 25/3 धारा 2021/64 0स0अ0मु 0स0अ0।

.2मु 25/3 धारा 2021/64 0स0अ0आर्म्स एक्ट  थाना देवगाँव आजमगढ़।

## बरामदगी

एक .1 अदद देशी तंमचा व एक अदद जिन्दा कारतूस बोर 12।

.2 एक अदद देशी तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस  बोर 315।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

.1नि राकेश कुमार सिंह थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ 0अ0

.2उ अभिषेक सिंह थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ 0नि0

.3हे संजय दूवे थाना देवगाँव जनपद आजमगढ 0का0

.4का उपेन्द्र यादव थाना देवगाँव जनपद आजमगढ 0

.5हे प्रवीण कुमार सिंह थाना देवगाँव जनपद आजमगढ 0का0

## थाना- रानी की सराय

### त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पर्चा वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनाकं 11.04.2021 को वादी  शिवपाल सिंह S/O कालिका सिंह निवासी टेकमलपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर प्रार्थना पत्र  दिये जिसमें विपक्षी राम नरेश यादव पुत्र हरिहर यादव निवासी ग्राम खैरपुर जगजीवन थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने मो 0 नं0-8948117261 से मेरे मो0 नं0-9140750578 पर फोन करके पर्चा वापसी करने की धमकी देने व पर्चा वापसी न करने पर जाने से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दाखिल कि दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 37/2021 धारा 386/506 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक   आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह    द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित/वारण्टी/की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय दिलीप कुमार सिंह के निर्देशन में उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव मय हमराह कां0 दीपक यादव के थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 37/2021 धारा 386/506 भा0द0वि0 के वांछित अभियुक्त रामनरेश यादव पुत्र हरिहर यादव ग्राम खैरपुर जगजीवन थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को आज दिनांक 12.04.2021 को ग्राम सेमरहा अम्डर पास के पास से समय करीब 13.57 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

## पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 37/2021 धारा 386/506 भा0द0वि0 थाना रानी की सराय आजमगढ

## गिरफ्तार अभियुक्त

रामनरेश यादव पुत्र हरिहर यादव ग्राम खैरपुर जगजीवन थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 अरविन्द कुमार व कां0 दीपक यादव।